रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15062021-227621
SG-DL-E-15062021-227621

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164]	दिल्ली, सोमवार, जून 14, 2021/ज्येष्ठ 24, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 52
No. 164]	DELHI, MONDAY, JUNE 14, 2021/JYAISTHA 24, 1943	[N. C. T. D. No. 52

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 14 जून, 2021

फा. सं. 19(17)/सचि0/परिवहन/2020/49052.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 59) की धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट है कि जन–सुरक्षा की दृष्टि से एवंम दिल्ली की आम जनता की सुविधा के हित में यह आवश्यक है कि मुख्य चांदनी चौक रोड पर लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद और आसपास के क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही को नियमित करने के लिए निम्नलिखित तरीके से मोटर वाहनों को चलाने पर रोक लगाते है अर्थात :–

मुख्य चांदनी चौक रोड पर प्रतिबंध :–

i) मुख्य चांदनी चौक रोड पर लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद तक किसी भी मोटर वाहन का सभी दिनों के लिए प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक चलने की अनुमति नहीं होगी।

ii) मुख्य चांदनी चौक रोड के उत्तरी क्षेत्र की ओर प्रतिबंध – मुख्य चांदनी चौक रोड की तरफ आने वाली सभी सड़कों पर किसी भी मोटर वाहन को प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक चलने की अनुमति नहीं होगी । हालाँकि, ये प्रतिबंध निम्नलिखित सड़कों पर लागू नहीं होगें :

- एच0सी0 सेन मार्ग से जुबली सिनेमा कट तक (गांधी मैदान पार्किंग के सामने),
- राय केदारनाथ मार्ग जोकि मुख्य चांदनी चौक रोड की तरफ जाता है उस पर राय केदारनाथ मार्ग टी–पॉइंट तक (टाउन हॉल एंट्री रोड) ;
- कच्चा बाग रोड जिसमें चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन तथा रामजस सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 3, मुख्य चांदनी चौक रोड तक शामिल है ;
- शांति देसाई मार्ग जोकि मुख्य चांदनी चौक रोड की तरफ जाता है उस पर टी–पॉइंट शांति देसाई मार्ग तक (टाउन हॉल निकास रोड) तथा ;
- बाग दीवार पार्क की ओर जाने वाली सड़क पर मुख्य चांदनी चौक रोड तक (दंगल मैदान पार्किंग के पीछे) ।

iii) मुख्य चांदनी चौक रोड के दक्षिणी क्षेत्र की ओर प्रतिबंध – मुख्य चांदनी चौक रोड की तरफ आने वाली सभी सड़कों पर किसी भी मोटर वाहन को प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक चलने की अनुमति नहीं होगी । हालाँकि, ये प्रतिबंध निम्नलिखित सड़कों पर लागू नहीं होगें :

- नेताजी सुभाष मार्ग,
- जामा मस्जिद रोड पर चावडी बाज़ार रोड क्रॉसिंग तक;
- चावडी बाज़ार रोड़ पर हौज काज़ी चौराहा तक;
- लाल कुआँ रोड पर कटरा बरियान रोड टी पॉइंट तक;
- कटरा बरियान रोड पर फतेहपुरी मस्जिद टी पॉइंट तक;

सभी संबन्धित की सुविधा एवंम् सुचना के लिए नागरिक एजेंसिया और सड़क अनुरक्षण/ स्वामित्व वाली एजेंसियां, उक्त निषेधाज्ञा/ प्रतिबंधों का संकेत देने वाले संबंधित सूचनात्मक साइनबोर्डों को इस क्षेत्र में लगाएगी।

उक्त निषेधाज्ञा/ प्रतिबंध आपातकाल वाहन (अर्थात फायर टेंडर, एमबुलेंस, शव वाहन, गर्भवती महिलाओं या ऐसे मरीज जिन्हें मोटर चालित परिवहन की आवश्यकता हो को ले जाने वाले वाहन), प्रवर्तन (उत्तर दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस के वाहन) और रखरखाव (यानी उत्तर दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित वाहन, दिल्ली पुलिस, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, लोक निर्माण विभाग, सीपीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और बैंक मुद्रा वैन सुरक्षा वैन के साथ) के लिए लागू नहीं होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एत्तद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 115 के अधिन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए संबंधित उपायुक्त पुलिस, (यातायात) को इस अधिसूचना के दायरे में आने वाले क्षेत्रों के लिए आकस्मिक उदेश्य से कोई और निषेध या प्रतिबंध लगाने के लिए प्राधिकृत करते हैं ब"ार्ते कि इस तरह का प्रतिबंध एक महीने से अधिक समय तक लागू न हो।

यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

के. के. दहिया, विशेष सचिव (परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 14th June, 2021

No. F.19(17)/Sectt/Tpt/2020/49052.—In exercise of the powers conferred by section115 read with clause (41) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No.59 of 1988), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi on being satisfied that it is necessary in the interest of public safety and convenience of general public of Delhi to regulate the vehicular movement on main Chandni Chowk road from Red Fort to Fatehpuri Mosque and surrounding areas, does hereby prohibit the plying of Motor Vehicles in the following manner namely:

Restriction on main Chandni Chowk Road :

i) No Motor Vehicle shall be allowed to ply on the main Chandni Chowk Road from Red Fort to Fatehpuri Mosque from 9:00 AM to 9:00 PM on all days.

ii) Restrictions on North Side of the main Chandni Chowk Road - No Motor Vehicle shall be allowed on all roads leading up to main Chandni Chowk Road from 9:00 AM to 9:00 PM. These restrictions however, shall not apply to the following roads :

- H.C. Sen Marg upto Jubli Cinema Cut (Opposite Gandhi Maidan Parking);
- Rai Kedarnath Marg towards main Chandni Chowk Road upto T-Point Rai Kedar nath Marg (Town Hall entry road);
- Kachha Bagh Road including Chandni Chowk Metro Station and Ramjas Sr. Secondary School No.3, up to main Chandni Chowk Road;
- Shanti Desai Marg towards main Chandni Chowk Road upto T-Point Shanti Desai Marg (Town Hall exit road) and;
- Road leading to Bagh Diwar Park upto main Chandni Chowk Road (Behind Dangal Maidan Parking).

iii) Restrictions on South Side of the main Chandni Chowk Road-No Motor Vehicle shall be allowed on all roads leading up to main Chandni Chowk Road from 9:00 AM to 9:00 PM. However, these restrictions shall not apply to the following roads :

- Netaji Subhash Marg ;
- Jama Masjid Road up to Chawri Bazar Road crossing;
- Chawri Bazar Road up to Hauz Qazi Chowk;
- Lal Kuan Road upto T-Point Katra Bariyan Road;
- Katra Bariyan Road up to Fatehpuri Mosque T-Point.

The civic agencies and road maintaining / owning agencies shall erect corresponding informatory signboards indicating the restrictions in the area for the information and convenience of all concerned.

The above said prohibition / restrictions shall not be applicable for the purposes of Emergency (i.e. Fire Tenders, Ambulances, Hearse Van and Vehicle carrying Pregnant Women or Patients requiring Motorized Transport), Enforcement (Vehicles of North DMC & Delhi Police) and Maintenance (i.e. Vehicles deployed by North DMC, Delhi Police, BSES Yamuna Power Ltd., Public Works Department, CPWD, Delhi Jal Board, Indraprastha Gas Ltd. & Bank Currency Vans accompanied with Security Vans).

The Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi hereby, also authorizes the Deputy Commissioner of Police (Traffic) concerned to exercise the powers under Section 115 of the said Act for imposing any further prohibition or restriction for emergent purposes for the area covered by this notification, provided that such restriction is to remain in force for not more than one month.

The notification comes into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
K. K. DAHIYA, Special Secy. (Transport)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.06.15 20:01:57 +05'30'